न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, सोनभद्र
सिविल अपील संख्या–18 सन् 2013
संगीत देव बनाम अनन्त कुमार अग्रवाल

–:आदेश पत्रकः–

24.09.2020

सिविल अपील पत्रावली पेश हुई। पुकारा करायी गयी। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 44ग एवं 42क पर सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

–:निस्तारण प्रार्थना पत्र 44गः–

अपीलार्थी संगीत देव की ओर से प्रार्थना पत्र 44ग अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि उक्त सिविल अपील पक्षकारों की अनुपस्थिति में दिनांक 16.10.2015 को खारिज हो गयी थी जिसके संबंध में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2020 के द्वारा पुनः मूल क्रमांक पर पुनर्स्थापित हुई है। अपीलार्थी संख्या–2 इंगुर देवी की मृत्यु दिनांक 06.06.2016 को हो गयी है। अपील मेमो में अपीलार्थी संख्या–2 इंगुर देवी के नाम के आगे मृतक अंकित किए जाने हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र 42क प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रस्तुत करने में जान बूझ कर कोई बिलम्ब कारित नहीं किया गया है। यदि किसी प्रकार का बिलम्ब पाया जाये तो उसे धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र 44ग के समर्थन में शपथ पत्र 45ग प्रस्तुत किया गया है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। मौखिक आपत्ति करते हुए कहा गया है कि प्रार्थना पत्र कालबाधित है। यह सिविल अपील स्वयं अपीलार्थी की लापरवाही के कारण ही पूर्व में खारिज हुई है। बिलम्ब माफी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार पर्याप्त नहीं हैं। प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत सिविल अपील दिनांक 16.10.2015 को उभय पक्ष की अनुपस्थिति में खारिज की गयी थी। अपील को, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 24.08.2020 को पुनः ग्रहण किया गया है। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र 42क दिनांक 18.09.2020 को ही प्रस्तुत कर दिया गया है। अपीलार्थी संख्या–2 इंगुर देवी की मृत्यु दिनांक 06.06.2016 को उस अवधि के दौरान होना कहा गया है जब प्रस्तुत अपील खारिज होने के उपरान्त अस्तित्व में नहीं थी बल्कि उसे पुनः ग्रहण किए जाने के लिए प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र लम्बित चल रहा था। अपीलार्थी संख्या–2 की मृत्यु होने के उपरान्त उसके मृत्यु से संबंधित संशोधन अपील मेमो में किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र 42क पेश किए जाने में हुआ बिलम्ब अपीलार्थी द्वारा जान बूझ कर नहीं किया गया है जो मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार किए जाने के उपरान्त माफी योग्य है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 44ग स्वीकार किए जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र 44ग स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र 42क को प्रस्तुत करने में हुए बिलम्ब को माफ किया जाता है।

.....2

—:निस्तारण प्रार्थना पत्र 42कः—

प्रार्थना पत्र 42क अपीलार्थी संगीत देव की ओर से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी संख्या—2 इंगुर देवी की मृत्यु दिनांक 06.06.2016 को हो गयी है। उक्त सिविल अपील पक्षकारों की अनुपस्थिति में दिनांक 16.10.2015 को खारिज हो गयी थी जिसके संबंध में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2020 के द्वारा पुनः मूल क्रमांक पर ग्रहण हुई है। अतः अपील मेमो में अपीलार्थी संख्या—2 इंगुर देवी के नाम के आगे मृतक अंकित किए जाने हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र 42क प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 42क के समर्थन में शपथ पत्र 43ग प्रस्तुत किया गया है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। मौखिक आपत्ति करते हुए कहा गया है कि प्रार्थना पत्र कालबाधित है। प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जावे।

चूंकि प्रार्थना पत्र 42क को प्रस्तुत किए जाने में हुए बिलम्ब को माफ करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 44ग स्वीकार किया जा चुका है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र 42क स्वीकार किए जाने योग्य है।

तद्नुसार प्रार्थना पत्र 42क स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र 42क के आलोक में अपील मेमो में संशोधन अन्दर सप्ताह किया जावे।

सिविल अपील पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 12.10.2020 को पेश हो।

दिनांकः 24.09.2020

अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या—2, सोनभद्र